राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 594 / 2025

बलराम निगम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हापू राम बिश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर. बकानी, जिला झालावाड में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राईमरी हेल्थ सेन्टर. बंजारी गांव, बारां में हितेश कुमार वर्मा के स्थान पर 150 किलोमीटर दूरस्थ किया गया है। यह स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर बिना प्रशासनिक आवश्यक्ता के समंजित करने की दृष्टि से जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आलौच्य आदेश बिना मस्तिष्का का प्रयोग किये एवं बिना प्रशासनिक आवश्यक्ता के जारी किया गया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंचायती राज संस्थाओं के हस्तान्तरित गतिविधियों का राज सेवक है। इसके संबंध में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम,

2011 प्रभावी है, जिसके नियम 8(iii) के तहत एक जिले से दूसरे जिले में प्रत्यर्थी विभाग की स्थानान्तरण से पूर्व पंचायती राज विभाग की सहमति लेना आवश्यक है। आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अवहेलना में जारी किया गया है। आलोच्य आदेश नियम 2011 के नियम 8(iii) के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं है।

3. अपीलार्थी द्वारा आलौच्य स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष दायर अपील संख्या 1207/2025 जोकि दिनांक 18.02.2025 को अन्य समान अपीलों के साथ निर्णीत की जाकर आदेश दिये गये थे कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुए आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.02.2025 को अपने विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है/निर्णय नहीं लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने विभाग से सूचना चाहे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2025 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया कि पीएचसी बंजारी खण्ड छीपा बडौद में नर्सिंग अधिकारी के स्वीकृत दो पदों के विरूद्ध दो नर्सिंग अधिकारी पदस्थापित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना अनुसार अपीलार्थी के स्थानान्तरित स्थान पर नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावें।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

5. आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को पूर्व में अपील संख्या 1207/2025 द्वारा चुनौती दिये जाने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियत अवधि में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण अभी तक नहीं करने का कथन किया है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना अनुसार पीएचसी बंजारी खण्ड छीपा बडौद में नर्सिंग अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी ने झालावाड जिले में रिक्त पद पर पदस्थापन का भी अनुरोध दौराने बहस किया है।

6. हम यह पाते हैं कि अधिकरण द्वारा निर्देशित समय–सीमा में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लेकर उसे लम्बित रखना अधिकरण के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में नए सिरे से संशोधित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य